E-255949-11001-01-2014-IEC

बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग

6 वीं तल, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना-14

Website: bsacs.bihar.gov.in

ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा एच.आई.वी. एवं एड्स के प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता से संबंधित नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन एच.आई.वी. संक्रमित समुदाय एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के माध्यम से कराया जाना है। इस हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में एच.आई.वी. संक्रमित समुदाय के पंजीकृत जिला एवं राज्य स्तरीय नेटवर्क तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये कार्यरत समुदाय आधारित संस्था का चयन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर कराया जाना है, जिसके लिये निम्नलिखित मानक से संबंधित साक्ष्य की आवश्यकता है–

क्र0 सं0	निर्धारित मानक
1.	समुदाय आधारित संस्था का Society Registration Act, 1960 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र
2.	संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों की विवरणी
3.	संस्था से जुड़े कम से कम कम आठ वैसे सदस्यों की सूची, जिनके द्वारा नुक्कड.नाटकों का संचालन किया जायेगा।
4.	संस्था के द्वारा सामुदायिक गतिशीलता (Community Mobilization) हेतु कार्यो से संबंधित स्व अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र

अतः राज्य के विभिन्न जिलों में एच.आई.वी. संक्रमित समुदाय के पंजीकृत जिला एवं राज्य स्तरीय नेटवर्क तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये कार्यरत समुदाय आधारित संस्था निश्चित रूप से दिनांक 18 जूलाई 2025 अपराहन 03:00 बजे तक समिति के Dispatch शाखा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत किसी भी परिस्थिति में ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए समुदाय आधारित संस्था इच्छुक सभी कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय अवधि में कार्यालय के सहायक निदेशक (जीपा) से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना कारण बताए किसी भी स्तर पर ईच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

संस्था के चयन हेतु आर्हता–

1. संस्था से जुडे. कम से कम आठ सदस्य ऐसे हों, जिनके द्वारा नुक्कड.नाटक किया जायेगा। इसकी सूची समिति को उपलब्ध कराना आवश्यक है। संस्था के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची को उनके द्वारा अद्यतन किया जा सकता है।
2. चयनित संस्था को नुक्कड.नाटक के संचालन हेतु वाद्य यंत्र, पोषाक आदि उनके द्वारा लाया जायेगा
3. चयनित संस्था को समिति के द्वारा नुक्कड. नाटक से संबंधित Folk Workshop के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के क्रम में संस्था के द्वारा नुक्कड. नाटक का अवधारणा/कथा Folk Workshop तैयार करवाया जायेगा।
4. प्रशिक्षण के क्रम में चयनित संस्था को नुक्कड. नाटक का कार्य आवंटित किया जायेगा।
5. चयन के उपरांत संस्था के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची को उनके द्वारा अद्यतन किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (वित्त)